तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/10657/2002/कोटा** **माधोलाल बनाम नंदकिशोर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री चिरंजी लाल दायमा सदस्य

उपस्थितः—
श्री चन्द्रमोहन, अधिवक्ता, प्रार्थी

निर्णय

दि.25.5.18

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17—4—2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183—बी के तहत एक वाद प्रस्तुत किया जिसका श्रवणाधिकार अधीनस्थ न्यायालय को न होकर मात्र तहसीलदार को प्राप्त है । इस तथ्य को अप्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष साबित कर दिए जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निरस्त कर प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज करने में त्रुटि की है । अप्रार्थी/वादी संख्या 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए प्रार्थी को भूमि का बेचान किया जा चुका था । इसलिए उसको उक्त भूमि पर कब्जा होने के बाबत ज्ञान बखूबी था इस कारण यह दावा बैरून मियाद था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निरस्त करने में त्रुटि की है । अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा चूंकि भूमि का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कर दिए जाने के कारण वह खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता तथा इस तथ्य को उसके द्वारा साबित कर दिया गया था कि वादी खातेदारी अधिकार के बाबत वाद नहीं ला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/10657/2002/कोटा** **माधोलाल बनाम नंदकिशोर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सकता है । इस संबंध में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–बी के तहत वाद चलने योग्य नहीं था । इसके बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खरिज करने में त्रुटि की है जो निरस्तनीय है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–4–2002 में यह माना है कि भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी में राजस्व अभिलेखमें दर्ज है परंतु कब्जा किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का हो तो प्रकरण 183–बी तहसीलदार के श्रवणाधिकार में होगा परन्तु अगर भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी मेंनहीं है तथा वह खातेदारी में होने का दावा करता है तो प्रकरण 183–बी का न होकर धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है । जो इसी न्यायालय के श्रवणाधिकार में है । अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 17–4–2002 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रकरण 183–बी का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को है जब खातेदार के द्वारा भूमि का बेचान ही कर दिया गया तो बेचान के साथ ही हक व अधिकार समाप्त हो जाते हैं । आदेश 7 नियम 11 सीपीपी का प्रार्थना–पत्र गलत खारिज किया है ˙ चूंकि दावा 183–बीके तहत पेश किया गया था । अतः निगरानी स्वीकार की जावे ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/10657/2002/कोटा** **माधोलाल बनाम नंदकिशोर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित । राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दावा धारा 88 के अन्तर्गत पेश किया गया है जिससे उपखण्ड अधिकारी का क्षेत्राधिकार रहता है वैसे भी उपखण्ड अधिकारी को तहसीलदार की अन्तर्निहित शक्तियां प्राप्त है । हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन सेप्रकट होता है कि वादी ने अपने दावे में इस आशय की डिक्री चाही है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर अवैधानिक रूप से विवादित आराजीयात प्रार्थी के नाम लगायी है जो प्रभावशून्य है । अतः विवादित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलाया जावे तथा उसे आराजी का पुनः खातेदार घोषित करते हुए रेकार्ड में दुरूस्ती की जावे । आदेश 7 नियम 11 सीपीपी के प्रार्थना–पत्र के आधार पर वाद को खरिज किया जा सकता है । **आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता मूलत इस प्रकार है–** **क–वाद हेतुक प्रकट नहीं करने पर** **ख–अनुतोष का मूल्यांकन कम करने** **ग–अपर्याप्त स्टॉम्प पर वाद पत्र लिखा गया हो** **घ–वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो** **ड–वाद पत्र डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं करना तथा** **च–नियम 9 की अनुपालना नहीं करने की स्थिति में आदेश 7**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/10657/2002/कोटा** **माधोलाल बनाम नंदकिशोर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत वादपत्र को खारिज किया जा सकता है । प्रस्तुत दावे से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियमकी धारा 183–बी के संबंध में प्रस्तुत नहीं करके धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार की शक्तियां उपखण्ड अधिकारी में अर्न्तनिहित हैं । प्रार्थी द्वारा दिए गए प्रार्थना–पत्र में दिए गए तथ्य दावे को खारिज करने के लिए प्र्याप्त नहीं है । न्यायालय को यह तय करना है कि पूर्व में जो भूमि अप्रार्थीगण के नाम थी वह किस प्रकार प्रार्थीगण के नाम हस्तांतरित की गई एवं यह हस्तांतरण सही है अथवा गलत है। प्रकरण में तनकियात बनायी जा चुकी हैं एवं उन तनकियात पर वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य होकर के निर्णय किया जाना है । इस संबंध में जो तनकी नंबर 3 बनायी गई हैं उससे भी यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी को यह तय करना है कि विवादित आराजीयात जो प्रार्थीगण के खाते में लगा दी गई है वह अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने पर स्वतः निरस्तनीय है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण में दोनों पक्षकारों को सुनकर के निर्णय किया जाना चाहिए । केवल मात्र क्षेत्राधिकार के आधार पर दावे को खारिज किया जाना उचित नहीं कहा जा सकता है । अप्रार्थीगण द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया गया है उसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 183–बी दोनों धाराओं का उल्लेख किया गया है जिससे क्षेत्राधिकार तहसीलदार का नहीं रह जाता है एवं यह क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी का ही रहता है ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/10657/2002/कोटा** **माधोलाल बनाम नंदकिशोर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ऐसी स्थिति में जो अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है उसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है । फलस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है। उभय पक्षकारानको निर्देशित किया जाता है कि वे उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय में दिनांक **11–6–2018** को उपस्थित होवें । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(चिरंजी लाल दायमा)** **सदस्य**	